न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

वाद संख्या - 20...../2025 धारा 163 भ0ना0सु0सं0

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
17/2/25	अभिलेख उपस्थापित। **थाना प्रभारी, सरिया के ज्ञापांक - 02/2025, दिनांक- 13.02.2025** के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक हैं। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 163 भा0 ना0 सु0 संहिता के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ हीं उभय पक्षों से दिनांक ....28.2.25..... को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक ....28.2.25..... को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित 17-02-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह) 17-02-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया(गिरिडीह)	

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28/2/25	उभय पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। अगली तिथि 07/3/25 (हस्ताक्षर) 28/2/25	
07/3/25	उभय पक्ष वकालतन उपस्थित। प्रथम पक्ष कारण पृच्छा के साथ list of documents के माध्यम से कागजात दाखिल किए। द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता श्री [illegible] वर्मा हैं। प्रथम पक्ष के दीपक कु. सिन्हा। द्वितीय पक्ष अविलम्ब w/s file करें। अगली तिथि 28/3/25 (हस्ताक्षर) 07/3/25	
28/3/25	उभय पक्ष उपस्थित। अभिलेख दिनांक 11/4/25 को पेश करें (हस्ताक्षर) 28/3/25	
11/4/25	उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता गण भी उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा w/s दाखिल किया गया। साथ ही list of documents के साथ 8 दस्तावेजी साक्ष्य समर्पित किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता गण को सुना। उभय पक्ष अलग-अलग	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

केवाला से उक्त जमीन पर दावा करते हैं। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उक्त मामले को B.N.S.S. धारा 164 में परिवाद करने का आग्रह करते हैं।

आदेश हेतु।

11/4/26

आदेश

सुनवाई के क्रम में यह तथ्य उजागर हुआ कि उभय पक्ष के बीच भू-विवाद है। उक्त भू-विवाद में पूर्व में भी वाद चल चुका है तथा भू-विवाद में दखल-कब्जा का तत्व अंतर्निहित है। उक्त वाद के बेहतर विश्लेषण हेतु राजस्व कागजातों का मुल्यांकन, मौखिक साक्ष्य तथा अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन की आवश्यकता होगी। भा. ना. सु. सं. की धारा 163 के तहत सीमित अवधि उक्त विवेचन संभव नहीं है साथ ही ज्ञात स्रोतों से पता चलता है कि वर्तमान में भी भू-विवाद के कारण लोक परिशांति भंग होने की संभावना विद्यमान है। अतः भू-विवाद के बेहतर निपटारे हेतु वाद को

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	भा० ना० सु० सं० की धारा 164 में परिणत किया जाता है। उभय पक्ष को इस आशय का नोटिस निर्गत करें तथा वाद को सुनवाई हेतु दिनांक 20/5/25 को सूचीबद्ध करें। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 11/4/25 अनु० द०डा० बगोदर-सरिया (हस्ताक्षर) 11/4/25 अनु० द०डा० बगोदर-सरिया	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.04.26 16:37:26 +05:30
Location: 192.168.1.4